

I-6979

S.R.-1



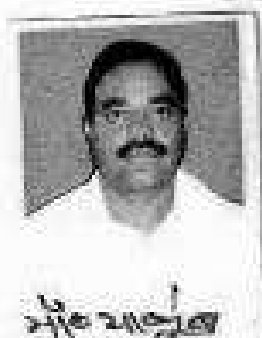
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91538

NTK
586/178/09
27 JUN 2009



समन

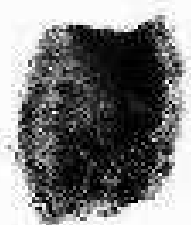


मो 2100109

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार :-	कृषि भूमि
वार्ड/परगना :-	मुजफ्फरनगर
मोहल्ला/ग्राम :-	शेखनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) :-	खसरा नम्बर 8
मापन की इकाई :-	हेक्टेयर

समन



मो 2100109





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651534

-2-

सम्पत्ति का क्षेत्रफल :-	0.2910 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति :-	नहीं है
सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि
पेड़ों का मूल्यांकन :-	नहीं है
बोरिंग / कुआ / अन्य :-	नहीं है
सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं है	
प्रतिफल की धनराशि :-	8,15,000/-रुपये

समन

श्री 031000

आविकेश पाण्डेय
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
10/7/2009



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651535

-3-

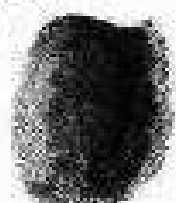
मालियत	:-	8,14,800 / - रुपये
निर्धारित दर	:-	28,00,000 / - रुपये प्रति हे०
स्टाम्प शुल्क	:-	57,060 / - रुपये
किस्म जमीन	:-	अच्छल आदी

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

सहचाल



श्री ० शाकुल



अमित कुमार मनी
स्टाम्प विक्रेता
सदर-मुबारकपुर

12 स्टाम्प विक्रेता की पंजीयन 27-6-09
स्टाम्प की संख्या 5000
आमिल नम्बर 1/1 (अथवा अथवा)

अमित कुमार मनी (स्टाम्प विक्रेता)
सदर-मुबारकपुर, मुबारकपुर
आईएनए नं. 254
आईएनए की अवधि 31-3-2012

विक्रेता

Registration No.: 6979

Year: 2009

Book No.: 1

0101 मुलान

अमरपाल सिंह

सहायली मुन्डान

गुडिनी



(१) अमरपाल सिंह सहायली मुन्डान (२) अमरपाल सिंह सहायली मुन्डान





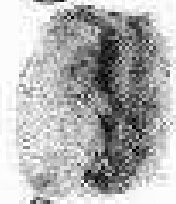
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651536

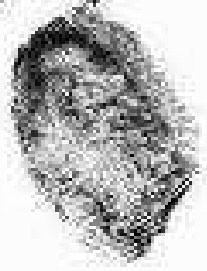
-4-

हम कि श्रीमति सुमन पत्नी श्री अमरपाल सिंह निवासी ग्राम सहावली परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्री सिद्धी विनायक बिल्डर्स 39, सुधरासाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर मौहम्मद याकूब पुत्र श्री हबीब अहमद निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित की मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है।

सुमन



मौ. याकूब



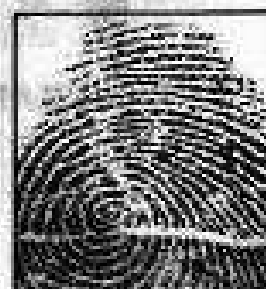
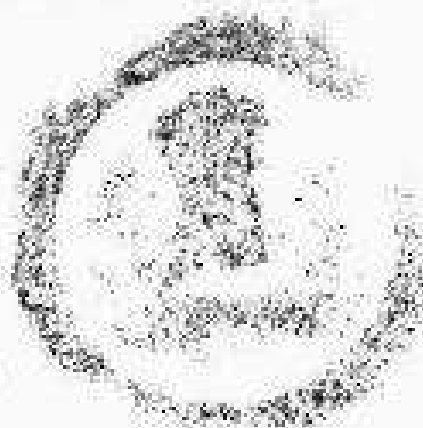
[illegible]

सामिप नम्बर---/--- 14.07.2021

ਸਾਈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 31-3-2012

Florida 14a

अथवा

[illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651692



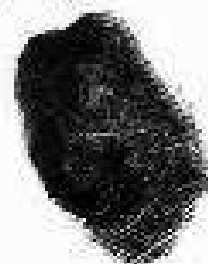
-5-

यह भूमि हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कराई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली भूमि निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने भूमि निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किरम के अंकन आठ लाख

समन



मौजिदाकुल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

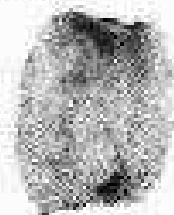
F 651693



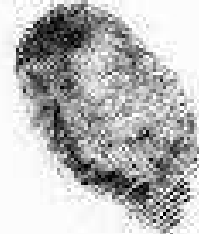
-6-

पन्द्रह हजार रुपये (8,15,000/-रुपये) अर्धे जिसके अंकन चार लाख सात हजार पाँच सौ रुपये (4,07,500/-रुपये) होते हैं बरदस्त श्री सिद्धी विनायक बिल्डर्स 38, सुधराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर मौहम्मद याकूब पुत्र श्री हबीब अहमद निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा एक किता चैक नम्बरी 342081 दिनांक 27-06-2009 ई० विजया बैंक मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है अब कोई

सुमान



गो. रा. लु. क.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

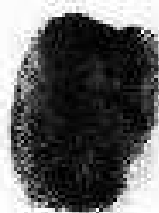
F 651694



-7-

पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बगिस्तान अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहोम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हें अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य

समन



मौक्याकूल



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

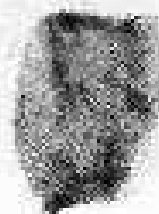
F 702952

-8-

मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम फस या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम फस या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय फस नै क्रय की है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़ दयूबधैल बोरेग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 8,14,800/- रुपये होती है लेकिन विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन

सहान

मोहन लाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 702953

-9-

8,15,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजार कीमत इससे अधिक नहीं है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विषय विक्रीत सम्पत्ति स्थित शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर— जो कि कृषि भूमि खाता संख्या 83 के खसरा नम्बर

समज



गौतम दासगुल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 537608

-10-

8 एकबई 0.2910 है0 लगान सालाना 14.35 रुपये, किस्म जमीन जंगल
अच्छल आबी, मय गुमला हक व हकूक डर किस्म।

समान

मोठमालुला

साक्षी

साक्षी

व्य. कोटपाक डि.
म. लोवट डि.
महोदय

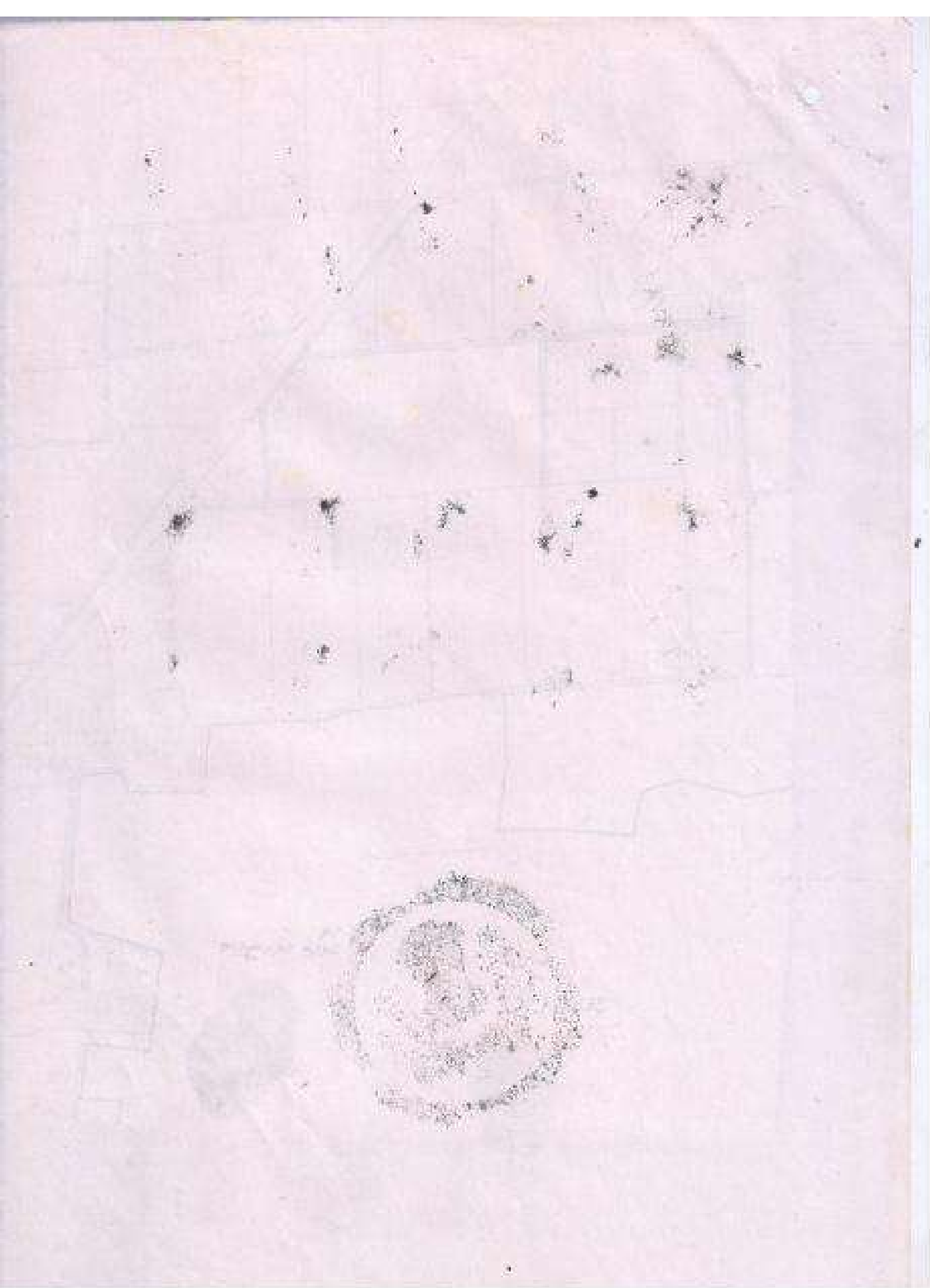
तहरीर ता.:-10-07-2009 ई0

ड्राफ्ट कर्ता:-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।



(25810)

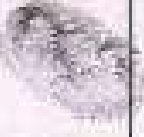
25810 25810 25810



पक्षार का नाम श्री. अ. पु. १३

	अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठक
दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम श्री. अ. पु. १३

	अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठक
दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम

	अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठक
दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम

	अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठक
दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

